उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होम्योपैथी भवन
2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ-2

मो0नं0 : 7607355882
ई-मेल-registrar@hmbup.in

पत्रांक : 1037 /एच0एम0बी0/2026

दिनांक 19/08/26

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,
एस0डी0जे0पी0 होम्योपैथिक फार्मेसी कालेज,
दल्ला निजामपुर, अकबरपुर,
जनपद-अम्बेडकरनगर।
(कालेज कोड- CL-1053)

विषय- भेषजिक डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम संचालन के शैक्षणिक सत्र 2026-28 (जिसमें की कोर्स वर्ष प्रथम वर्ष 2026-27 एवं द्वितीय वर्ष 2027-28) की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1670/ 96-आयुष-2-2022-14(एल0सी0)/ 2022, दिनांक 18.07.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड,लखनऊ के पत्रांक-1664/एच0एम0बी0/692/22, दिनांक 05.08.2022, पत्रांक-2210/ एच0एम0बी0/692/22, दिनांक 23.09.2022 एवं पत्रांक-2573/एच0एम0बी0/ 692/22, दिनांक 08.12.2022 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कालेजों का भौतिक/स्थलीय निरीक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी स्तर से भौतिक सत्यापनोपरान्त प्राप्त करायी गयी आख्या के क्रम में जो कालेज वर्तमान में अस्तित्व में हैं व क्रियाशील हैं व निर्धारित मानक के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं में ही उ0प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड कार्यालय के पत्रांक-2021/एच0एम0बी0/2022-23, दिनांक 19.12.2022, संशोधित पत्रांक-2621/एच0एम0बी0/2022-23, दिनांक 26. 12.2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी ।

इसी क्रम में उ0प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ द्वारा संचालित डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2026-28 (प्रथम वर्ष 2026-27 एवं द्वितीय वर्ष 2027-28 डिप्लोमा कोर्स) की सम्बद्धता निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विगत सत्रों में कृत कार्यवाही तथा क्रियाशील व पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार अर्ह पायी गयी संस्थाओं में ही वर्तमान सत्र 2026-28 के पाठ्यक्रम संचालन की कार्यवाही की जानी है।

उपरोक्त के क्रम में बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या- 118(i)/एच0एम0बी0/2026, दिनांक 09.04.2026, के द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं को सत्र 2026-28 में पाठ्यक्रम संचालन हेतु समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, डी0एच0पी0 कालेज शैक्षणिक सत्र संचालित 2024-26 तथा 2025-27 को इस आशय के साथ पत्र प्रेषित किया गया कि सत्र 2026-28 के पाठ्यक्रम संचालन हेतु समस्त गतिविधियां वेबसाइट के कालेज लॉगिन पोर्टल पर दिनांक 31.05.2026 तक अनिवार्य रूप से अपडेट एवं अपलोड कर दे, जिससे की निर्धारित मानक के अनुरूप अर्ह पायी गयी संस्थाओं का सम्बन्धित जनपदों के जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी से सत्यापन कराते हुए पाठ्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके, साथ ही उक्त पत्र में वर्तमान सत्र में पाठ्यक्रम संचालन हेतु छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हुए छात्रों की पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार छात्रों का संस्था में प्रवेश हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है। बोर्ड कार्यालय के पत्र दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पत्र के क्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु तिथि निर्धारित करते हुए पत्र प्रेषित किया गया है व पत्र दिनांक 01.06.2026 के द्वारा वेबसाइट पर अपना विवरण अपलोड करने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करते हुए उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यालय के पत्र दिनांक 08.07.2026 के द्वारा भेषजिक डी0एच0पी0 सत्र 2026-28 में छात्रों के प्रवेश में शुल्क प्रतिपूर्ति तथा छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया, साथ ही यह भी निर्देशित

किया गया है कि निर्धारित तिथि तक यदि उक्त कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धि के प्राचार्य/प्रबन्धक का होगा।

जनपदों के जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार सत्र 2026-28 में पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार अर्ह पाये गये संस्थाओं में पाठ्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु प्राप्त करायी गयी संस्तुति सहित ऑनलाइन प्रति-सत्यापन आख्या के क्रम में जो कालेज वर्तमान में अस्तित्व में है एवं क्रियाशील है व निर्धारित मानक के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य मूलभूत सुविधाये उपलब्ध है व शैक्षणिक सत्र 2023-24 तथा सत्र 2024-26 एवं 2025-27 में पाठ्यक्रम संचालित है में ही वर्तमान सत्र 2026-28 के पाठ्यक्रम संचालन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त के क्रम में पाठ्यक्रम संचालन हेतु उ0प्र0 शासन आयुष अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1842(1)/71-आयुष-2-2015- 92/96 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 21.12.2015 के क्रम में पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता जारी किये जाने का निम्न शर्त यथा- **"यदि सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी भी तथ्य का गोपन किया गया है अथवा अन्य प्रतिकूल विषय प्रकाश में आते है तो उनकी समबद्धता तत्काल स्वतः समाप्त मानी जायेगी तथा नियमानुसार विधिक व दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य/प्रबन्धक का होगा"** के साथ-साथ निम्न शर्तो के अधीन भेषजिक डी0एच0पी0 कालेज (**कालेज कोड**-CL-1053) की सत्र 2026-28 (प्रथम वर्ष 2026-27 एवं द्वितीय वर्ष 2027-28 डिप्लोमा कोर्स में) के पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता जारी की जाती है:-

1. सम्बन्धित डी0एच0पी0 कालेजों द्वारा बोर्ड के निर्धारित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तो के अधीन व पाठ्यक्रम संचालन हेतु जारी शासनादेश संख्या-1842(1)/71-आयुष-2- 2015-92/96 टी0सी0, 21 दिसम्बर, 2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार करायी जायेगी।
2. **सम्बन्धित डी0एच0पी0 कालेज द्वारा दिनांक 31.08.2026 से संस्था में छात्रों के प्रवेश लिये जा सकेगें। दिनांक 20.09.2026 तक प्रत्येक दशा में संस्था द्वारा अपनी नव प्रवेशित छात्रों की प्रवेश सूची को वेबसाइट के नामांकन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए समस्त प्रपत्रों यथा- छात्रों के प्रवेश परीक्षा हेतु प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन पत्रों का विवरण, परीक्षा हेतु जारी किये गये एडमिट कार्ड व परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने वाले छात्रों का विवरण तथा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का डाटा (नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक तथा पूर्णांक एवं प्राप्तांक सहित) तथा रैंकवार सूची व काउंसिलिंग प्रपत्र आदि बोर्ड कार्यालय को समयबद्ध रूप से प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन जारी प्रवेश सूची का परीक्षण के उपरान्त छात्रों को इन्रोलमेंट नम्बर जारी किया जायेगा तथा ऐसे ही छात्र बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें। यदि कोई संस्था उपरोक्त तिथि तक नव प्रवेशित छात्रों की ऑनलाइन सूची जमा नही करती है तो उस संस्था का सत्र शून्य माना जायेगा।**
3. डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम के मानक के अनुसार प्रशासनिक भवन, क्लासरूम, लैबरूम एवं सी0सी0टी0वी0 आदि की समुचित व्यवस्था कराया जाना अनिवार्य है।
4. डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम के अनुसार समस्त लैब के उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था रहेंगी।
5. सम्बन्धित डी0एच0पी0 कालेज में छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक की बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
6. बोर्ड की बेबसाइट www.hmbup.in पर कालेजों की प्रोफाइल, कार्यरत कर्मचारिओं की सूचना, कालेज की सांस्कृतिक, शैक्षणिक व अन्य गतिविधि से सम्बन्धित समस्त सूचना पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
7. **कालेज के द्वारा सन्दर्भित सत्र में छात्र/छात्राओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रवेश परीक्षा आहूत करते हुए उत्तीर्ण छात्रों का रैंक तैयार करते हुए योग्यता सूची के आधार पर उम्मीदवार का चयन तथा चयन सूची के अनुसार काउंसिलिंग के माध्यम से ही छात्रों का प्रवेश एवं पंजीयन सहित समस्त कार्यवाही ऑनलाइन माध्यम से ही की जाए, मैनुअल रीति से किया गया पंजीयन व अन्य कोई कार्यवाही वैद्य नही मानी जाएगी।**

8. छात्र/छात्रा का पंजीयन, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि का नियत फीस निर्धारण एवं शुल्क से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को देय वेतन/मानदेय की सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
10. बोर्ड या कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इस प्रयोजन हेतु अधिकृत हो किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कालेजों के पाठ्यक्रम का निरिक्षण कर सकता है इसमें कालेज प्रशासन को कोई आपत्ति नही होगी।
11. पठन-पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जायेगी तथा किसी भी विसंगति की स्थिति में कालेज की सम्बन्धता/मान्यता समाप्त किये जाने पर विचार करने का अधिकार बोर्ड का होगा।
12. डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सत्र में पठन/पाठन एवं प्रशिक्षण का शैक्षणिक कैलेन्डर छात्र पंजियन समाप्त होनें से पूर्व निर्गत कर दिया जाए व उसकी प्रति पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
13. डी0एच0पी0 कालेज द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने कैम्पस के प्लेसमेंट से सम्बन्धित गतिविधियों को पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
14. उपरोक्त लिखित समस्त शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त शपथ पत्र के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें उसके उपरान्त ही छात्र/छात्राओं का परीक्षा फार्म पंजीयन कराने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
15. कालेज में पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अभ्यर्थियों का चयन/प्रवेश उनके अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही संस्था द्वारा स्वयं की गयी है जिसकी गुणवत्ता/वैधता आदि के लिये स्वयं संस्था ही जबाबदेह मानी जायेगी।
16. उपरोक्त में एक या अधिक शर्तों के उल्लंघन के क्रम में किसी भी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य/प्रबन्धक स्वयं जिम्मेदार रहेगें।
17. बोर्ड के स्तर से संस्था की सत्र विशेष में वैद्यता का ही प्रतिसत्यापन किया जा सकेगा। कोर्स वर्ष के अभ्यर्थियों की वैधता एवं उनके अभिलेखों में सत्यापन/प्रतिसत्यापन के लिये बोर्ड की जवाबदेही नही मानी जायेगी।
18. संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संचालन से सम्बन्धित समस्त गतिविधियां यथा- क्लासरूम, लाइब्रेरी, चारों प्रयोगशालाए, ओ0पी0डी0 संचालन की स्थिति, हर्बल गार्डेन आदि को सम्मिलित करते हुए 03 मिनट का विडियो वेबसाइट के कालेज लॉगिन पोर्टल पर तथा बोर्ड के ई-मेल पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।
19. संस्था में अध्ययनरत छात्रों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति परीक्षा में प्रतिभाग हेतु अनिवार्य होगी।
20. बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए आदेशों/निर्देशों का समयबद्ध रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त का अनुपालन न किए जाने पर स्वयं संस्था ही जवाबदेह मानी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

14/08/2026

(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार

पत्रांक संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- नियंत्रक, उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

14/08/2026

(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार।